

अनुदान संख्या 17 – संस्कृति मंत्रालय  
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CULTURE

|                              |                                    | कुल अनुदान<br>Total<br>grant                  | वास्तविक व्यय<br>Actual<br>expenditure | बचत—<br>Saving - |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|
|                              |                                    | (हजार रुपयों में)<br>(In thousands of rupees) |  |                  |
| <b>राजस्व:</b>               | <b>Revenue:</b>                    |   |  |                  |
| स्वीकृत—                     | Voted-                             |   |  |                  |
| मूल                          | Original                           | 3057,57,00                                    |  |                  |
|                              |                                    | 3057,58,00                                    | 2123,43,85                             | -934,14,15       |
| पूरक                         | Supplementary                      | 1,00  |  |                  |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year |   |  | 927,69,41        |
| <b>पूंजीगत:</b>              | <b>Capital:</b>                    |   |  |                  |
| स्वीकृत—                     | Voted-                             | 92,29,00                                      | 20,21,01                               | -72,07,99        |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year |   |  | 69,14,40         |

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष                 | Head                          | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |         |        |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------|--------|
| मुख्य शीर्ष "2251"    | Major Head "2251"             |  |         |        |
| सचिवालय – समाज सेवाएं | Secretariat - Social Services |  |         |        |
| मू.                   | O.                            | 5119.00                                  |         |        |
|                       |                               | 3979.60                                  | 3909.23 | -70.37 |
| पु.                   | R.                            | -1139.40                                 |         |        |

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष              | Head                |           |           |           |         |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| मुख्य शीर्ष "2205" | Major Head "2205"   |           |           |           |         |
| कला और संस्कृति    | Art and Culture     |           |           |           |         |
| मू.                | O.                  | 294858.00 |           |           |         |
| पू.                | S.                  | 1.00      | 209008.99 | 208434.62 | -574.37 |
| पु.                | R.                  | -85850.01 |           |           |         |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552"   |           |           |           |         |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | North Eastern Areas |           |           |           |         |
| मू.                | O.                  | 5780.00   |           |           |         |
| पु.                | R.                  | -5780.00  | ..        | ..        | ..      |

(I) ₹8188.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹7764.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2205"

(क) "पुरातत्व सर्वेक्षण - पुरातत्व विज्ञान केन्द्र" - ₹1100.00 लाख; और

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - शताब्दी एवं वार्षिक समारोह" - ₹1200.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(I) Provision of ₹8188.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹7764.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2205" -

(a) "Archaeological Survey - Archaeological Science Centre" - ₹1100.00 lakhs; and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Centenary and Anniversary Celebrations" - ₹1200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2552" -

(क) “कला तथा संस्कृति – कला और संस्कृति का संवर्धन – कला संस्कृति विकास योजना” – ₹3954.00 लाख; और

(ख) “कला तथा संस्कृति – संग्रहालय – संग्रहालयों का विकास” – ₹1510.00 लाख।

(a) “Art and Culture - Promotion of Art and Culture - Kala Sanskriti Vikas Yojana” - ₹3954.00 lakhs; and

(b) “Art and Culture - Museums - Development of Museums” - ₹1510.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – संस्कृति विभाग” – ₹1151.51 लाख की बचत (₹4933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Department of Culture” - saving of ₹1151.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4933.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “2205” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “2205” - savings occurred under the following heads:-

(का) “कला तथा संस्कृति का संवर्धन” –

(A) “Promotion of Art and Culture” -

(क) “कला संस्कृति विकास योजना” – ₹2936.96 लाख की बचत (₹12883.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न किए जाने, प्रस्तावों/दस्तावेजों की कम प्राप्ति होने, गांधी शांति पुरस्कार/टैगोर सम्मान का आयोजन न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “Kala Sanskriti Vikas Yojana” - saving of ₹2936.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12883.00 lakhs) was due to non-procurement of office equipments, non-holding of public events, less receipt of proposals/documents, non-conduction of Gandhi Peace Prize/ Tagore Award owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “शताब्दी तथा वार्षिक समारोह” – ₹6359.44 लाख की बचत (₹13870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने, कम कार्यकलाप किए जाने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में

(b) “Centenary and Anniversary Celebrations” - saving of ₹6359.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13870.00 lakhs) was due to less tours undertaken, taking up of less activities owing to COVID-19, non receipt of utilization certificates and

कटौती किए जाने के कारण हुई।

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (ग) “भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण” – ₹570.35 लाख की बचत (₹3438.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय” – ₹18787.06 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹56685.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “सार्वजनिक पुस्कालय” –
- (क) “पुस्तकालय तथा अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय” – ₹742.39 लाख की बचत (₹4235.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय” – ₹4097.64 लाख की बचत (₹12617.97 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने, बाह्य कार्यकलाप आयोजित न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “पुरातत्व सर्वेक्षण” –
- (क) “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशालय” – ₹8692.95 लाख की बचत (₹47785.64 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठक/प्रचार कार्यक्रम
- (c) “Anthropological Survey of India” - saving of ₹570.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3438.20 lakhs) was due to less tours undertaken owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (d) “Autonomous Bodies and Grantee Bodies” - saving of ₹18787.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹56685.40 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to availability of unspent balance of previous years and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (B) “Public Libraries” -
- (a) “Libraries and Archives - National Library” - saving of ₹742.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4235.68 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (b) “Autonomous Bodies and Grantee Bodies” - saving of ₹4097.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12617.97 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year, non-holding of outdoor activities owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (C) “Archaeological Survey” -
- (a) “Directorate of Archeological Survey of India” - saving of ₹8692.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47785.64

आयोजित किए जाने, कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान कटौती किए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to conduction of less meetings/publicity events, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “प्राचीन स्मारकों का संरक्षण” – ₹24655.63 लाख की बचत (₹67925.97 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को मूर्त रूप न दिए जाने, कुछ संरक्षण कार्य शुरू न होने, कम व्यावसायिकों को लिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Conservation of Ancient Monuments” - saving of ₹24655.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67925.97 lakhs) was due to non-materializing of tenders, non-initiation of some conservation work, hiring of less professionals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) “पुरातत्व संग्रहालय” – ₹1029.61 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) “Archaeological Museum” - saving of ₹1029.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) “संग्रहालय” –

(D) “Museums” -

(क) “संग्रहालयों का विकास” – ₹2567.28 लाख की बचत (₹15270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्चुअल एक्सपीरिएंशल म्यूजियम स्कीम में कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “Development of Museums” - saving of ₹2567.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15270.00 lakhs) was due to requirement of less funds in Virtual Experiential Museum Scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “स्वायत्त निकाय तथा अनुदानग्राही निकाय” – ₹7639.03 लाख की बचत (₹31866.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) “Autonomous Bodies and Grantee Bodies” - saving of ₹7639.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31866.65 lakhs);

(ड.) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(E) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(क) “कला संस्कृति विकास योजना” – ₹685.16 लाख की बचत (₹2268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) “Kala Sanskriti Vikas Yojana” - saving of ₹685.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2268.00 lakhs);

(ख) “संग्रहालयों का विकास” – ₹709.93 लाख की बचत (₹1310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कला संस्कृति विकास योजना” – ₹962.62 लाख की बचत (₹1674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(छा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” – ₹1447.88 लाख की बचत (₹2060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹594.69 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य, शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—

(b) “Development of Museums” - saving of ₹709.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1310.00 lakhs);

(F) “Tribal Area Sub-Plan - Kala Sanskriti Vikas Yojana” - saving of ₹962.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1674.00 lakhs); and

(G) “International Cooperation - Global Engagement and International Co-operation” - saving of ₹1447.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2060.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under two heads savings of ₹594.69 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 44 percent and 51 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

| कुल अनुदान<br>Total<br>grant | वास्तविक व्यय<br>Actual<br>expenditure | बचत—<br>Saving -                         |
|------------------------------|--|--|
|                              |  | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |

| शीर्ष<br>Head  |  |
|--|--|
| मुख्य शीर्ष “4202”<br>शिक्षा, खेलकूद, कला तथा<br>संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head “4202”<br>Capital Outlay on Education,<br>Sports, Art and Culture |
| मू.  | O. 9229.00   |
| पु.  | R. -6914.40  |

2314.60      2021.01      -293.59

(I) ₹929.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “कला तथा संस्कृति” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई –

(का) “सार्वजनिक पुस्तकालय – पुस्तकालय तथा अभिलेखागार – भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार” – ₹1255.22 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “संग्रहालय – संग्रहालय – राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा” – ₹590.99 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “अन्य व्यय – भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण” – ₹1025.91 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – संबद्ध कार्यालय” – ₹3476.38 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण बड़ी परियोजनाएं शुरू न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹929.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under “Art and Culture” - savings occurred under the following heads” -

(A) “Public Libraries - Libraries and Archives - National Archives of India” - saving of ₹1255.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs);

(B) “Museums - Museums - National Gallery of Modern Art” - saving of ₹590.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs); and

(C) “Other Expenditure - Anthropological Survey of India” - saving of ₹1025.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) “Archaeological Survey of India - Attached Office” - saving of ₹3476.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-taking up of major projects owing to restriction of expenditure in the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.